भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2416

13 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: सूक्ष्म सिंचाई के लिए केंद्रीय राजसहायता बढ़ाने पर विचार

2416. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर रायलसीमा क्षेत्र के सूखा-प्रवण जिलों में सूक्ष्म सिंचाई हेतु केंद्रीय राजसहायता को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने के आंध्र प्रदेश के अनुरोध को प्राप्त किया है तथा उस पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदन की स्थिति, प्रतिबद्ध केंद्रीय निधि की राशि और इसके आरंभ की समय-सीमा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्रीय सूक्ष्म सिंचाई कोष/राजसहायता योजना के अन्तर्गत राजसहायता दर में वृद्धि के लिए क्या मानदंड हैं और यह आंध्र प्रदेश के अनुरोध के साथ किस प्रकार संरेखित है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): पीडीएमसी योजना के तहत, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को 55%, अन्य किसानों को 45% और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) पट्टा धारक लाभार्थियों को 90% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सब्सिडी का यह पैटर्न क्षेत्र या जिले के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर समान रूप से लागू होता है। आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई की लागत के 90% तक सहायता प्रदान करने के लिए टॉप-अप सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान, राज्य को पीडीएमसी के अंतर्गत प्रारंभ में ₹241.91 करोड़ आवंटित किए गए थे। राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, आवंटन को बढ़ाकर ₹291.91 करोड़ कर दिया गया।

(घ) और (ङ): भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ मिलकर सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) की स्थापना की है ताकि राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज बढ़ाने और पीडीएमसी योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाने में सहायता मिल सके। भारत सरकार 2% की दर से ब्याज अनुदान की देयता वहन करती है।

वर्ष 2019-2021 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य को एमआईएफ के तहत पीडीएमसी के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने के लिए ₹616.13 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई थी और राज्य द्वारा संपूर्ण स्वीकृत राशि का लाभ उठाया गया था।

*****